न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1044 / 2024

अनवान : –

1. बलराम पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सन्तलाल पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर हाल चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।
2. विद्या देवी पत्नी भीखाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर हाल चक 16 जेएसएन नोहर।
3. रोशन पुत्री भीखाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर हाल चक 16 जेएसएन नोहर।
4. सरोज देवी पुत्री भीखाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर हाल चक 16 जेएसएन नोहर।
5. राजबाला पुत्री भीखाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर हाल चक 16 जेएसएन नोहर।
6. बलवीर पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर हाल चक 16 जेएसएन नोहर।
7. मोहनलाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर हाल चक 16 जेएसएन नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः- 10/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 29 / 26 की कुल 10.8050 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक के 1 / 12 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 प्रत्येक के 1 / 4 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा चक 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 29 / 26 की कुल 1.6450 हैक्ट भूमि में से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक के 1 / 12 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 प्रत्येक के 1 / 4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में मनफुल व भीखाराम के नाम दर्ज थी उनकी फौतगदी के बाद वाद भूमि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 जो की वादी व प्रतिवादी संख्या [illegible] बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना [illegible] वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। [illegible] मौजा 18 जेएसएन [illegible] जेएसएन की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.19 16:51:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या प्रत्येक 5/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 1/12 भूमि पर काबिज है। उक्त खाते पर अपवादित का नोट है उसे हटाया जावे। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र भीखाराम, सदस्य प्रमाण पवत्र बहक भीखाराम, समझौता पत्र बहक रोशनी, सरोज, राजबाला, संतलाल, बलराम पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि पूर्व में मनफुल व भीखाराम के नाम दर्ज थी उनकी फौतगदी के बाद वाद भूमि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उनके वारिसान के नाम दर्ज हई। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 जो की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा 18 जेएसएन व 16 जेएसएन की वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या प्रत्येक 5/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 1/12 भूमि पर काबिज है। उक्त खाते पर अपवादित का नोट है उसे हटाया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फ[illegible]वे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.19 16:51:17 IST
Reason: SelfAttested

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 29/26 की कुल 10.8050 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक के 1/12 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा चक 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 29/26 की कुल 1.6450 हैक्ट भूमि में से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक के 1/12 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि पूर्व में मनफुल व भीखाराम के नाम दर्ज थी उनकी फौतगदी के बाद वाद भूमि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उनके वारिसान के नाम दर्ज हई। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 जो की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा 18 जेएसएन व 16 जेएसएन की वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या प्रत्येक 5/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 1/12 भूमि पर काबिज है। उक्त खाते पर अपवादित का नोट है उसे हटाया जावे, वादी के उक्त कथनो को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र के अनुसार भीखाराम के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 29/26 की कुल 10.8050 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को 5/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/12 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का नाम कलमजन किया जाता है तथा रोही मौजा 16 जेएसनएन तहसील नोहर के खाता स0 296/26 की कुल 1.6450 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को 5/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/12 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का नाम कलमजन किया जाता है तथा अपवादित का अंकन हटाया जाता है। इसी अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.19 16:51:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.19 16:51:17 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1044/2024

अनवान : –

1. बलराम पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सन्तलाल पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर हाल चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।
2. विद्या देवी पत्नी भीखाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर हाल चक 16 जेएसएन नोहर।
3. रोशन पुत्री भीखाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर हाल चक 16 जेएसएन नोहर।
4. सरोज देवी पुत्री भीखाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर हाल चक 16 जेएसएन नोहर।
5. राजबाला पुत्री भीखाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर हाल चक 16 जेएसएन नोहर।
6. बलवीर पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर हाल चक 16 जेएसएन नोहर।
7. मोहनलाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर हाल चक 16 जेएसएन नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1044 सन 2024 निर्णय दिनांक -10/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 29/26 की कुल 10.8050 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को 5/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/12 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का नाम कलमजन किया जाता है तथा रोही मौजा 16 जेएसनएन तहसील नोहर के खाता स0 296/26 की कुल 1.6450 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को 5/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/12 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का नाम कलमजन किया जाता है तथा अपवादित खाते का अंकन हटाया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.19 16:51:17 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर